संख्या-11/2023/416/23-07-2023/001-04-सा0 -2023

प्रेषक,

अभय कुमार,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-7 लखनऊःदिनांकः24 मार्च, 2023

विषयः- मा0 न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, झांसी द्वारा इजराय वाद सं0-380/2018 मै0 शान्ति कान्स्ट्रक्शन बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा-37 के अन्तर्गत योजित अपील सं0-16/2023 उ0प्र0 राज्य बनाम मै0 शान्ति कान्स्ट्रक्शन में पारित आदेश दिनांक 22.02.2023 के अनुपालन में डिक्रीटल मद से धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1) के पत्रांक-10445/बी0जी0/ 245बी0(11)/ 2022-23 दिनांक 28.02.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा-37 के अन्तर्गत योजित अपील सं0-16/2023 उ0 प्र0 राज्य बनाम मै0 शान्ति कान्स्ट्रक्शन में पारित आदेश दिनांक 22.02.2023 का क्रियात्मक अंश निम्न हैः-

"The learned counsel for the appellant states that in pursuance of an earlier order passed by the Commercial Court dated 2.1.2023, the account of the Executive Engineer, Construction Division (C.D.), Orai-1 P.W.D. A/C Code No. 4901 has been seized as a result no payments can be made out from this account even for genuine creditors. In view of above, the order dated 2.1.2023 is modified to the extent that that amount that is due to be paid to the respondent on the basis of award impugned shall be deposited by the Executive Engineer in the Court concerned but it shall not be disbursed till the disposal of the appeal and the rest of the amount shall be allowed to be operated by the officer concerned till the next date of listing. Interim order, if any, shall continue till the next date of listing. The amount shall be deposited within two weeks from the date of issue of this order failing which the benefit of the interim order granted to the appellant and interim order passed today shall not be available."

3- मुख्य अभियन्ता (मु0-1) के उक्त पत्र दिनांक 28.02.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल, मा0 न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, झांसी द्वारा इजराय वाद सं0-380/2018 मै0 शान्ति कान्स्ट्रक्शन बनाम उ0 प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 02.01.2023 एवं मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ में मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा-37 के अन्तर्गत योजित अपील सं0-16/2023 उ0 प्र0 राज्य बनाम मै0 शान्ति कान्स्ट्रक्शन में पारित आदेश दिनांक 22.02.2023 के अनुपालन में डिक्रीटल मद हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था से मा0 न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, झांसी में जमा करने हेतु धनराशि रू0 3,60,53,964.00/-(तीन करोड साठ लाख तिरपन हजार नौ सौ चौसठ रूपये मात्र) का आवंटन किये जाने की एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 3,60,53,964.00/-(तीन करोड साठ लाख तिरपन हजार नौ सौ चौसठ रूपये मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 058 लेखा शीर्षक 5054808000301 न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत निर्माण कार्य (भारित) के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022 /बी-1-454 /दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अभय कुमार
विशेष सचिव।

संख्या-11/2023/416/23-07-2023/001-04- सा0-2023 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- पीठासीन अधिकारी, मा0 न्यायालय कामर्शियल कोर्ट, झांसी।
2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ।
3- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
4- जिलाधिकारी, उरई, (जालौन)।
5- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0, लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उरई (जालौन)।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
9- मुख्य अभियन्ता, झांसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, झांसी।
10- अधीक्षण अभियन्ता, झांसी वृत्त, लोक निर्माण विभाग, झांसी।
11- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-1, लोक निर्माण विभाग, उरई।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
13- लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेश प्रताप सिंह
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।